

आज्ञा विस्तृत रूप से

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

११/३/२५

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान् अनुपस्थित।
 न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारों को तीन ३
 बार आवाज लगावारी गरी वावजूद सूचना
 न्यायालय में दायिर नहीं हुआ अतः १५/०७/२५
 अदम दायिरी व उतदम पैरगी में अन्तर्गत
 आदेश १५ नियम ३ प्रा. ६ में खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फौसल शुमार दोहर
 वाद नम्बर से कम दायिरी में सुनने
 न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक